

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0023912

मेसर्स जयश्री रेल कन्स्ट्रक्शन,
श्री एल.के. सिंह चौहान,
सेक्टर – एच, इण्डस्ट्रियल एरिया,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

– आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री,
शहर संभाग (पूर्व),
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
भोपाल (म.प्र.)

– अनावेदक

आदेश
(दिनांक 08.05.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के प्रकरण क्रमांक C0098811 मेसर्स जयश्री रेल कन्स्ट्रक्शन विरुद्ध कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग (पूर्व), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल में पारित आदेश दिनांक 17.03.2012 से असंतुष्ट होकर यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।
2. उपभोक्ता ने अनावेदक वितरण लाईसेंसी के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की थी कि दिनांक 15.03.2004 को उसे मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल का एक पत्र दिनांक 19.03.2004 की बैठक के संबंध में प्राप्त हुआ था । उस बैठक में वह उपस्थित हुआ था तथा उसने सभी तथ्यों से अधिकारियों को अवगत कराया था और उक्त बैठक में उसे यह जानकारी दी गई थी कि उसके द्वारा देय राशि कम कर दी जाएगी । इसके पश्चात् मार्च 2005 को उसे 25620/- रु. का देयक प्राप्त हुआ था । उक्त देयक के

संबंध में उसने रिव्यू लेखापाल, पूर्व संभाग, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, भोपाल को दिनांक 21.03.2005 को पत्र प्रेषित किया था तथा इस पत्र में उसने उक्त देयक के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी दिए जाने का निवेदन किया था । उसे कोई जानकारी नहीं दी गई थी । इसके बाद वर्ष 2011 में उसे पुनः 25620/- रु. का देयक जमा करने के लिए भेजा गया है । दिनांक 24.11.11 को भेजा गया यह देयक ऑडिट में निकालना बताया गया है, जबकि उसके द्वारा प्रतिमाह उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा का देयक जमा किया जाता था । अतः उक्त देयक की राशि को समाप्त किया जाए तथा मानसिक त्रास के रूप में उसे 20,000/- रु. दिलाए जाए ।

3. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में इस आशय का जवाब प्रबंधक, इण्डस्ट्रियल जोन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उपभोक्ता के कनेक्शन का ऑडिट लेखा ईकाई द्वारा परीक्षण किया गया था । परीक्षण करने पर यह पाया गया था कि माह 08.2000 से माह 06.2001 तक मीटर खराब पाए जाने पर कम खपत अंकित होने से शेष यूनिट्स की बिलिंग करके रु. 25620/- की रिकवरी निकाली गई थी । आवेदक द्वारा आपत्ति करने पर प्रकरण को सेटलमेन्ट कमेटी में दिनांक 19.03.2004 को रखा गया था । सेटलमेन्ट कमेटी द्वारा आवेदक के आवेदन को विचारोपरान्त खारिज किया गया था । अतः उसे दिनांक 19.03.2005 को बिल भेजा गया था तथा उपभोक्ता द्वारा बिल न जमा किए जाने पर दिनांक 24.10.11 को पुनः बिल भेजा गया है । आवेदक को जिस राशि का बिल भेजा गया है वह राशि शासन एवं कम्पनी के नियमानुसार की जाने वाली ऑडिट के अन्तर्गत निकाली गई है, जो उचित है ।

4. उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् फोरम ने आदेश दिनांक 14.03.12 के द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि अगस्त 2000 से जून 2001 के बीच की अवधि के लिए ऑडिट द्वारा आकलन खपत की गणना के आधार पर देय राशि की मांग उपभोक्ता से की गई है, ऐसी स्थिति में फोरम वृत्त प्रभारी को विस्तृत विवेचना कर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया । फोरम ने वृत्त प्रभारी को यह निर्देश दिया था कि ऑडिट द्वारा निकाली गई राशि का पालन समय सीमा में न हो सकने के क्या कारण थे तथा वृत्त प्रभारी पुराने रिकॉर्ड से यह सुनिश्चित करें कि इंगित राशि की वसूली पूर्व में न की गई हो । यह भी निर्देश दिया गया कि प्रभावित होने वाले पक्ष द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर यथासंभव ध्यान दिया गया है तथा निर्णय प्रचलित संहिता एवं विनियम की वर्णित धाराओं 9.12, 9.17, 11.10 एवं 11.14 के अनुरूप है, तदनुसार उचित निर्णय लिया जाए । फोरम द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि निर्णय से असहमत होने की दृष्टि से विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 9.17 के अन्तर्गत उपभोक्ता स्थानीय क्षेत्र प्रभारी को अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय मान्य

होगा । वृत्त प्रभारी 14 दिन में निर्णय से उपभोक्ता एवं फोरम को सूचित करेंगे । उपभोक्ता की समस्या का निराकरण उपरोक्तानुसार न होने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए ।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि फोरम ने उसकी ओर से प्रस्तुत शिकायत का वास्तविक रूप से निराकरण नहीं किया है, अतः उसकी शिकायत का निराकरण किया जाए ।

6. उभयपक्ष के तर्क सुने गए । इस मामले में अनावेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक की यह आपत्ति कि अनावेदक की ओर से उसे जो देयक जारी किया गया है वह समय बाध्य होने से वसूली योग्य नहीं है, गलत तथ्यों पर आधारित है । वस्तुतः अनावेदक समय बाधिक होने पर भी उक्त राशि वसूल कर सकता है । आवेदक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसकी आपत्ति मुख्य रूप से यह है कि ऑडिट के आधार पर उसे जो देयक जारी किया गया है वह नियमानुसार उचित न होने से वसूली योग्य नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत का वास्तविक रूप से निराकरण नहीं किया है तथा क्या उपभोक्ता चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :-

7. इस मामले में उपभोक्ता की मुख्य शिकायत पर विचार करने के पूर्व इस तथ्य पर विचार किया जाना उचित होगा कि क्या उपभोक्ता को जारी किया गया देयक समय बाध्य अर्थात् कालातीत होने के कारण उपभोक्ता से वसूली योग्य नहीं है ।

8. फोरम के आदेश की कण्डिका – 4 में लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा आडिट दल द्वारा निकाली राशि को सिर्फ कालातीत होने के कारण अमान्य करने की मांग की है, आवेदक द्वारा निकाली राशि की गणना के बारे में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है । फोरम के समक्ष उपभोक्ता ने जो शिकायत प्रस्तुत की है उसकी कण्डिका – 9 में उपभोक्ता ने फोरम से यह राहत चाही थी कि पत्र क्रमांक ई.ई./सी.डी.ई./आडिट/2011-4793 दिनांक 24.10.11 में दर्शाई राशि को समाप्त किया जावे । शिकायत पत्र का अवलोकन करने से यह कहीं स्पष्ट नहीं होता कि उपभोक्ता ने देयक को कालातीत होने से निरस्त किए जाने का अनुरोध किया था, अतः फोरम के आदेश की कण्डिका – 4 में व्यक्त किया गया मत तथ्यों के विपरीत प्रतीत होता है तथा यह मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि उपभोक्ता ने आडिट दल द्वारा निकाली गई राशि को सिर्फ कालातीत हो जाने के कारण अमान्य करने की मांग की थी ।

9. उपभोक्ता की शिकायत का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उसने अपनी शिकायत में जिन तथ्यों का वर्णन किया था तथा जो दस्तावेज संलग्न किए थे उनके अनुसार उसकी मुख्य शिकायत यह थी कि वर्ष 2004 में आडिट के आधार पर उसे अतिरिक्त राशि दिए जाने का निर्देश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दिया गया था । इस प्रयोजन के लिए उसे सेटलमेन्ट कमेटी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया था, परन्तु सेटलमेन्ट कमेटी के समक्ष उसके द्वारा तथ्य प्रस्तुत करने पर भी कमेटी द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया था । कमेटी के निर्णय से उसे अवगत नहीं कराया गया था तथा दिनांक 19.03.2005 को उसे 25620/- रु. का देयक भेजा गया था । इस देयक के संबंध में दिनांक 21.03.2005 को उसने रिव्यू लेखापाल के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी तथा देयक के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देने का निवेदन किया था । उसे जानकारी नहीं दी गई थी और 2005 के बाद दिनांक 24.10.11 को पुनः इसी राशि का देयक जानकारी दिए बिना भेजा गया था ।

10. उपभोक्ता की इस शिकायत के संबंध में अनावेदक विद्युत लाईसेंसी के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया था उसके अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर के खराब पाए जाने और कम खपत अंकित होने के कारण आडिट लेखा ईकाई द्वारा 25620/- रु. की रिकवरी निकाली गई थी । उक्त रिकवरी के संबंध में उपभोक्ता द्वारा सेटलमेन्ट के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने पर उसकी आपत्ति को खारिज किया गया था और उपभोक्ता ने उक्त राशि जमा करने का देयक दिनांक 19.03.05 को भेजा गया था और इसके बाद दिनांक 24.10.11 को पुनः देयक भेजा गया है ।

11. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत तथा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की आडिट लेखा ईकाई द्वारा उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर के संबंध में जारी किए जाने वाले विद्युत देयकों का परीक्षण करने पर यह पाया गया था कि वर्ष 2008 के अगस्त माह से वर्ष 2001 के मई माह तक मीटर में जो खपत अंकित की गई है वह शेष यूनिट्स की खपत से कम है और यह कम खपत मीटर खराब होने के कारण कम दर्ज हुई है । अतः उपभोक्ता से 25620/- की वसूली की जाए ।

12. विद्युत वितरण कम्पनी अर्थात् विद्युत लाईसेंसी उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा के प्रभार को कौन सी राशि, किस सीमा तक, किस प्रकार से वसूल कर सकता है, इसके संबंध में विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया जाना उचित होगा । यहा इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की आडिट लेखा ईकाई द्वारा उपभोक्ता से जो राशि वसूल किए जाने का निर्देश दिया गया था वह राशि वर्ष 2000 से वर्ष 2001 के बीच की थी और उस समय भारतीय विद्युत अधिनियम,

2003 तथा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 प्रभावशील नहीं था, परन्तु विद्युत वितरण कम्पनी को उपभोक्ता से वर्ष 2005 में उक्त राशि वसूल करने का अधिकार भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में दिए गए निर्देशों से ही प्राप्त होता है, अतः विधि के उक्त उपबंध दोनों पक्ष अर्थात् उपभोक्ता तथा वितरण लाईसेंसी पर समान रूप से लागू होते हैं ।

13. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 9.16 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक बंद/खराब मीटर का ब्यौरा अभिलिखित करना मीटर वाचक की जिम्मेदारी होगी । विवादित अवधि में उपभोक्ता का मीटर बंद था या खराब था, इसका ब्यौरा मीटर वाचक ने डायरी में उल्लेख किया था तथा इसकी सूचना वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को दी थी, इसका कोई प्रमाण अनावेदक वितरण लाईसेंसी के कर्मचारियों के द्वारा नहीं दिया गया है तथा उपभोक्ता की मांग पर भी उसे इस आशय की जानकारी नहीं दी गई है । अतः अनावेदक का यह कहना कि उपभोक्ता का मीटर खराब था, इस कारण उसके मीटर में विद्युत ऊर्जा की खपत कम दर्ज हुई थी विश्वास किए जाने योग्य नहीं है । विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 8.16 में यह निर्देश दिया गया है कि मीटर की परिशुद्धता के बारे में शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार है कि वह मीटर का परीक्षण कर सकता है, परन्तु इस मामले में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के मीटर का परीक्षण कराया जाना नहीं पाया जाता है ।

14. विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 9.12, 9.28, 9.29 तथा 9.30 के उपबंधों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा निधि की मांग को छोड़कर आडिट एवं अन्य बकाया राशि के लिए पृथक से बिल जारी किया जाएगा और ऐसे बिल में बिलिंग के आधार का विवरण तथा बिल की अवधि को लिखा जावेगा । उपभोक्ता को जो बिल जारी किया जाएगा उसमें कौन सी जानकारी बिल के साथ दी जाएगी, इसका विवरण धारा 9.29 से 9.31 में दिया गया है । इस मामले में उपभोक्ता को अनावेदकगण की ओर से 25620/- रु. का जो पहला बिल 19.03.05 को जारी किया गया था उसमें केवल वर्ष 2000 से 2001 की अवधि के लिए 25620/- रु. जमा करने का निर्देश उपभोक्ता को दिया गया था । इस अवधि के लिए उपभोक्ता से पूर्व में प्रत्येक माह राशि की वसूली की गई थी, उक्त अवधि में उपभोक्ता के मीटर में कितनी खपत दर्ज थी तथा 25620/- रु. की राशि की संगणना किस आधार पर की गई थी, इसका कोई विवरण बिल में अंकित नहीं किया गया था तथा उपभोक्ता द्वारा इस बिल के संबंध में दिनांक 21.03.2005 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद भी उसे बिल के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी ।

15. विधि के उक्त प्रावधानों के प्रकाश में उपभोक्ता की शिकायत का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता को दिनांक 19.03.2005 को जो बिल जारी किया गया था उसमें बिलिंग के आधार नहीं बताएं गए थे । उपभोक्ता द्वारा बिल के संबंध में आपत्ति करने पर भी उसे बिलिंग के आधारों की जानकारी नहीं दी गई थी तथा 19.03.2005 के बाद दिनांक 24.10.11 तक उपभोक्ता से इस बिल को जमा किए जाने की मांग नहीं की गई थी तथा पुनः बिलिंग के आधारों का विवरण दिए बिना उपभोक्ता को दिनांक 24.10.11 को पुनः उसी राशि का बिल भेजा गया था जो पूरी तरह से विधि के प्रावधानों के विपरीत था । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को दिनांक 19.03.2005 को तथा पुनः दिनांक 24.10.11 को आडिट एवं अन्य बकाया राशि की मांग के लिए उपभोक्ता को जो बिल भेजा गया था वह बिल विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 9.12 में दिए गए निर्देशों के विपरीत था । उपभोक्ता द्वारा इस बिल के संबंध में फोरम के समक्ष आपत्ति किए जाने के बाद भी अनावेदकगण की ओर से बिलिंग के आधार की स्पष्ट जानकारी विवरण सहित उपभोक्ता को नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त सुनवाई के दौरान दिनांक 22.09.12 के आदेश पत्र के अनुसार आवेदक को मीटर रीडिंग की डायरी पेश करने का निर्देश दिया गया, परन्तु उक्त निर्देश के बाद पर्याप्त समय दिए जाने पर भी ऐसी डायरी को पेश नहीं किया गया है । अतः उपभोक्ता की यह शिकायत उचित प्रतीत होती है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी दिनांक 19.03.2005 तथा 24.10.11 को भेजे गए बिल की राशि उससे वसूल पाने के अधिकारी नहीं है ।

16. उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य संदेह से परे साबित होता है कि फोरम द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का वास्तविक निराकरण नहीं किया गया है तथा उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 9.12 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वांछित सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता से दिनांक 19.03.2005 तथा 24.10.2011 को आडिट एवं अन्य बकाया राशि की मांग के रूप में 25620/- रु. उपभोक्ता से वसूल पाने के अधिकारी नहीं है ।

17. यह भी आदेश दिया जाता है कि आडिट की उक्त राशि वसूल न कर पाने के कारण अनावेदक उपभोक्ता के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित नहीं करेंगे ।

18. उपभोक्ता ने मानसिक त्रास के रूप में 20,000/- रु. दिए जाने का अनुरोध किया है । प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए उसे ऐसी राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है तथा इस संबंध में उसकी प्रस्तुत शिकायत को निरस्त किया जाता है ।

19. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल